C.F.A. 7.50

(34)

निग०/०७-पीबी/९६

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   ।९६ निगरानी।

छोटेराम पुत्र पारसराम ब्राह्मण, निवासी-ग्राम नौगवां टोला धारसिंह, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी, म०प्र० --- प्रार्थी

181 — III

एस० के० अवस्थी 20.12.96

20.12.96

राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

20/12/96

विरुद्ध

१। म०प्र० शासन

२। मधुराज सिंह पुत्र श्री बालमीक सिंह निवासी ग्राम दुआरी तिलेरा, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी।

प्रकरण

३। कमलेश्वर सिंह पुत्र श्री रामराज सिंह निवासी ग्राम नौगवां धारसिंह टोला, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी, म०प्र० -- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग दिनांक १-११-९६ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता । प्रकरण क्रमांक ४।९६-९७ पुनर्विलोकन ।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपरआयुक्त महोदय की आज्ञा कानून खिलाफ नहीं है ।

(२) यहकि अपरआयुक्त महोदय का आदेश स्वयं में बोलता हुआ आदेश नहीं है इस कारण वह आदेश की परिभाषा में नहीं आता ।

—२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 109–तीन/1996 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–12–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 04/1996–97/पुर्नविलोकन में पारित आदेश दिनांक 01.11.96 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्वयं में बोलता हुआ आदेश नहीं है। इसी कारण वह आदेश की परिभाष में नहीं आता। आवेदक ने पुनरावलोकन के आवेदन–पत्र में जो आधार बताये थे, वे आधार क्या है और क्यों कर वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते के सम्बध में विवादित आदेश मौन है। पुनरावलोकन आवेदन में जो आधार बताये गये थे, उन आधारों पर पुनरावलोकन आवेदन–पत्र सुनवाई हेतु ग्राह्य योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार किया जावे। 3/ अनावेदक शासकीय पैनल अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ट शर्मा उपस्थित । उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि आवेदक द्वारा जो निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है वह आधारहीन है। अतः निगरानी निरस्त किया जावे तथा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे।	

4/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का बारिकी से अध्ययन किया गया । अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के समक्ष संहिता की धारा 51 के अंतर्गत पुर्नविलोकन का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे अपर आयुक्त रीवा ने निरस्त किया है। आवेदक ने यह तर्क दिया है कि आवेदक ने पुनरावलोकन के आवेदन–पत्र में जो आधार बताये थे, वे आधार क्या है और क्यों कर वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते एवं पुनरावलोकन आवेदन में जो आधार बताये गये थे, उन आधारों पर पुनरावलोकन आवेदन–पत्र सुनवाई हेतु ग्राह्य योग्य है। यह तर्क कतई मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि पुर्नविलोकन आवेदन–पत्र तीन आधारों पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना, जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उसका ज्ञान पक्षकार को न हो अथवा

2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या फिर–

3. कोई अन्य पर्याप्त आधार या कारण।

आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के समक्ष तीनों आधारों में से कोई एक भी आधार नहीं बताये है, जिससे कि उसके द्वारा पुर्नविलोकन का आवेदन–पत्र ग्राह्य किये जाने योग्य हो। ऐसे में अपर आयुक्त रीवा ने जो आदेश पारित किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.1996 विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

5/ अतएव आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधार के अभाव में खारिज किया जाता है तथा अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.96 यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0ऐस0अली)

सदस्य